सत्यमेव जयते

| राजस्थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary |
|---|---|
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority |

ज्येष्ठ 06, मंगलवार, *शाके* 1947- मई 27, 2025

*Jyaistha 06, Tuesday, Saka 1947- May 27, 2025*

भाग-1(ख)

**महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।**

**जल संसाधन विभाग**

अधिसूचना

**जयपुर, मई 15, 2025**

**संख्या:20/भू.अ./ज.स./2025/799-803:**-चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ Acquisition of affected land of Bilendi Village under Parwan Project Teh. Chhipabarod District Baran के अन्तर्गत ग्राम बिलेण्डी को पूर्ण विस्थापित श्रेणी के लिए भूमि को अवाप्त किया जाना आवश्यक है।

यह अधिसूचना जारी कर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4(1) एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में सलग्न सूची अनुसार प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम से सम्पर्क करने एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के नियम 6(8) की पालना सुनिश्चित करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन परवन परियोजना खण्ड, द्वितीय बांरा को अधिकृत किया जाता है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-3 (जी) एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 1(51) Rev-6/2014/31 दिनांक 28.08.2015 के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति अधिकारी, जल संसाधन वृत, बांरा होगे।

**विवरण**

Acquisition of affected land of Bilendi Village under Parwan Project Teh.Chhipabarod District Baran के अन्तर्गत ग्राम बिलेण्डी को पूर्ण विस्थापित श्रेणी के लिए अवाप्त की जाने वाली भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1) की कार्यवाही बाबत प्रस्ताव जिला बारां।

| क्र. सं. | परियोजना का नाम | ग्राम | ग्राम पंचायत | तहसील | जिला | भूमि अवाप्ति अधिकारी का नाम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | परवन वृहद्ब बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना | बिलेण्डी | बिलेण्डी | छीपाबडौद | बारां | भूमि अवाप्ति अधिकारी जल संसाधन वृत बारां |

फार्म–2

(देखें–नियम–5)

पार्ट–बी

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना में निम्नलिखित सम्मिलित होगा-

| | | |
|---|---|---|
| (क) | परियोंजना विकासकर्ता का नाम | अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन परवन परियोजना खण्ड –द्वितीय, बारां |
| | प्रस्तावित योंजना का संक्षिप्त वर्णन और अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार, सामाजिक समाघात निर्धारण के अधीन आने वाले परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र। | Acquisition of affected land of Bilendi Village under Parwan Project Teh. Chhipabarod District Baran के अन्तर्गत ग्राम बिलेण्डी को पूर्ण विस्थापित श्रेणी हेतु अवाप्त की जाने वाली भूमि। |
| (ख) | सामाजिक समाघात निर्धारण के मुख्य उद्देश्य और महत्वपूर्ण क्रियाकलाप जिसके अन्तर्गत (i) परामर्श (ii) सर्वेक्षण (iii) सार्वजनिक सुनवाई / सुनवाईयां भी दें। | (1) परामर्श<br>(II) सर्वेक्षण<br>(III) सार्वजनिकसुनवाई |
| (ग) | यदि ग्राम सभा और /भू–स्वामी की सहमति अपेक्षित है तो अधिसूचना में इस बारें में कथन किया जाना होगा। | अधिनियम की धारा 2 (1) के अन्तर्गत लागू नहीं है। |
| (घ) | सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए समय सीमा और सामाजिक समाघात निर्धारण प्रकटीकरण की रीति के साथ अनेअचल परिणाम (सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन) योजना विनिर्दिष्ट किए जाने होंगे। | अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया व समय के अनुसार |
| (ङ) | इस अवधि के दौरान इस आशय का कथन कि प्रपीडन या धमकी के प्रयास से कार्यवाही अकृत और शून्य हों जाएगी। | हॉ |

| | | |
|---|---|---|
| (च) | सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई से सम्पर्क करने संबंधी जानकारी। | अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन परवन परियोजना खण्ड –द्वितीय, बारां |

मुकेश कुमार गुप्ता,
**उप सचिव एवं प्रावै. सहा.**
**वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन,**
**राजस्थान, जयपुर।**

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।